



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016/पौष 10, 1938

No. 906]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2016

सं. 57/2016-एडीडी

सा.का.नि. 1197(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) और कस्टम्स टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 एवं 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि सारणी के कॉलम (2) में दी गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्रम सं०. (1)	अधिसूचना संख्या और तिथि (2)	संशोधन (3)
1.	अधिसूचना 67/2011-सीमा शुल्क दिनांक 28.07.2011, [सा.का.नि. 582(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2011]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में क्र०.सं०. 1 से 10 के समक्ष प्रविष्टि, "3812 30" के स्थान पर प्रविष्टि "3812 31 00, 3812 39" को प्रतिस्थापित किया जाए;
2.	98/2011-सीमा शुल्क दिनांक 20.10.2011 [सा.का.नि. (अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2011]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में क्र०.सं०. 1 से 3 के समक्ष प्रविष्टि, "3812 30" के स्थान पर प्रविष्टि "3812 31 00, 3812 39" को प्रतिस्थापित किया जाए;
3.	7/2012-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 13.01.2012 [सा.का.नि. (अ) दिनांक 13 जनवरी, 2012]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में क्र०.सं०. 1 से 3 के समक्ष प्रविष्टि, "3824 90 90" के स्थान पर प्रविष्टि "3824 99 90" को प्रतिस्थापित किया जाए;
4.	51/2012-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 03.12.2012 [सा.का.नि. (अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 2012]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में क्र०.सं०. 1 से 12 के समक्ष प्रविष्टि, "3705 10 00" के स्थान पर प्रविष्टि "3705 00 00" को प्रतिस्थापित किया जाए;

5.	21/2013-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 06.09.2013 [सा.का.नि. (अ) दिनांक 6 सितम्बर, 2013]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में क्र०.सं०. 1 से 03 के समक्ष प्रविष्टि "2817 00 10 के स्थान पर प्रविष्टि 3812 39 30" को प्रतिस्थापित किया जाए; ।
----	--	---

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2017 से लागू होगी।

[फा. सं. 524/12/2016 एसटीओ-टीयू]

जुबेर रियाज,निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2016

No. 57/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 1197(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and rules, 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification 67/2011- Customs, dated the 28 th July, 2011[G.S.R 582(E), dated the 28 th July, 2011]	In the said Notification, in the TABLE, against serial number 1 to 10, in column (2), for the entry "381230", the entries "3812 31 00, 3812 39" shall be substituted.
2.	98/2011- Customs, dated the 20 th October, 2011[G.S.R. (E), dated the 20 th October, 2011]	In the said Notification, in the TABLE, against serial numbers 1 to 3, in column (2), for the entry "3812 30", the entries "3812 31 00, 3812 39" shall be substituted.
3.	7/2012- Customs (ADD), dated the 13 th January, 2012 [G.S.R. (E), dated the 13 th January, 2012]	In the said Notification, in the TABLE, against serial numbers 1 to 3, in column (2), for the entry "3824 90 90", the entry "3824 99 90" shall be substituted.
4.	51/2012- Customs (ADD), dated the 3 rd of December, 2012 [G.S.R. (E), dated the 3 rd of December, 2012]	In the said Notification, in the TABLE, against serial number 1 to 12, in column (2), for the entry "3705 10 00", the entry "3705 00 00" shall be substituted.
5.	21/2013- Customs (ADD), dated the 6 th September, 2013 [G.S.R. (E), dated the 6 th September, 2013]	In the said Notification, in the TABLE, against serial numbers 1 to 3, in column (2), for the entries, the entries "2817 00 10 or 3812 39 30" shall be substituted.

2. The notification shall come into force on the 1st day of January, 2017.

[F. No. 524/12/2016-STO (TU)]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)